डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

बानो पुत्री निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(वादीया)

बनाम

1. बुन्दु खॉ पुत्र निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौलीं।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
4. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 223 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट व पैरोकार सकरार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम कमालपुरा की आराजीयात मे डिक्री दी जाती है कि

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	बानो पुत्री निजामुद्दीन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	270 / 2 655 / 1 639 / 2 640 / 1	0.055 है0 0.14 है0 0.23 है0 0.13 है0
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.555 है0
2	बुन्दु खॉ पुत्र निजामुद्दीन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा मोरडा	270 / 1 655 / 2 639 / 1 640 / 2	0.055 है0 0.14 है0 0.23 है0 0.13 है0
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.555 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:41:01 IST
Reason: SelfAttested

निज......................मुबलिंग......................बाबत ...... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह......................फीसदी सालाना [illegible] तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.02.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

उनवानः– बानो बनाम बुन्दु खॉ

223 / 2022

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 14.12.2022

223 / 2022

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

पुत्री निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर

(वादीया)

बनाम

1. बुन्दु खॉ पुत्र निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
2. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौलीं।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
4. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (वादी)
पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय — दिनांक 19.02.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 270 / 0.11, 639 / 0.46, 640 / 0.26, 655 / 0.28, कुल किता 4 कुल रकवा 1.11 है0 मे वादीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा प्रतिवादी बुन्दु खॉ 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। वादीया अपने हिस्से पर कब्जेरत एवं काश्तरत है जिसमे फसल गेहू व सरसो काश्त कर रखी है। जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना देना नही है।

उक्त आराजीयात मे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से बटवारा पिता की मृत्यु के बाद 10 वर्ष पूर्व से ही कर रखा है। तथा वादीया एवं प्रतिवादी न01 अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्म करते चले आ रहे है।

प्रतिवादी न0 1 आये दिन डौल मेड पर विवाद रहता है व वादीया की भूमि पर कब्जा करने की फिराक मे रहता है। तथा आराजी ख0न0 270, 655 सडक के पास होने के कारण प्रतिवादी मे मन ख0न0 270, 655 के सम्पूर्ण रकवे को हडपना चाहता है।

बॉका दिनांक 10.12.22 को सुबह का है कि वादीया अपनी आराजी मे देखभाल करने के लिये गयी तो प्रतिवादी न0 1 बुन्दु खॉ वादीया के भाई बट की भूमि मे डोल मेड को तोड रहा था तो वादीया ने भाई बट की भूमि मे डोल मेड को [illegible] था। तो वादीया ने हाथ जोडकर प्रतिवादी न0 1 से कहा कि भाई तुम इस डोल मेड [illegible] रहे हो तो उसने वादीया से कहा कि मै तुम्हारे हिस्से की आराजी को मेरे हिस्से मे मिला[illegible]। उक्त घटना के बाद वादीया ने प्रतिवादी न0 1 से कहा कि तहसील [illegible] के लिये कहा तो प्रतिवादी न0 1 ने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि मै बटवारा नही [illegible]उगॉ। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:41:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीया बखिलाफ प्रतिवादी न0 1 के खिलाफ डिकी फरमाई जाकर आराजी ख0न0 270 / 0.11, 639 / 0.46, 640 / 0.26, 655 / 0.28, कुल किता 4 कुल रकवा 1.11 है0 मे वादीया व प्रतिवादी न0 1 के हिस्से व कब्जे अनुसार बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद जॉच फाईनल डिकी प्रदान की जावे। व प्रतिवादी न0 1 को पाबन्द किया जावे कि उक्त

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक [illegible]
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

राजीयात से वादीया के उपयोग– उपभोग मे मजाहमत मदाखलत नही रके वादीया को बेदखल र कब्जा नही करे। नाही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 ता 4 उपस्थित हुये। प्रतिवादी न0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के इनके विरूद्व एक रफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादीया का हिस्सा अलग कायम कराने हेतु दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश रने पर बाद सुनवाई दावा प्राथमिक डिक्री कर अलग–अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया।

प्रतिवादी न0 1 की और से जरिये श्री जॉकिर खॉन एडवोकेट ने दिनांक 03.01.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व आदेश 9 नियम 7 धारा 151 जा0दी0 पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज किया जाकर वादीया वकील की बटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादीया वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

वादीया वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वकील वादीयो भी प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किये जाने से वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम कमालपुरा की बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	बानो पुत्री निजामुद्वीन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	270/2 655/1 639/2 640/1	0.055 है0 0.14 है0 0.23 है0 0.13 है0
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.555 है0
2	बुन्दु खॉ पुत्र निजामुद्वीन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा मोरडा	270/1 655/2 639/1 640/2	0.055 है0 0.14 है0 0.23 है0 0.13 है0
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.555 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी